

fgekpy in'k jkT; df"k foi.ku ckM] foi.ku Hkou] [kyhuh] f'keyk&2 d y[kkvk dk
vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu
vof/k 04@2009 I 03@2010
iFke & Hkkx

1 xr vid{k.k ifronu&

गत अंकेक्षण परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाही का सत्यापन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित है। अनिर्णीत पैरों के षीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्रवाई करके अनुवर्ती रिपोर्ट इस कार्यालय को षीघ्र प्रेषित करें:-

%d% xr y[kk ijh{k.k ifronu vof/k 04@83 I 03@84

बोर्ड के अवधि 4/83 से 3/84 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया। जिस पर अभी भी कार्रवाई अपेक्षित है। अतः लम्बित आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

%[k% y[kk ijh{k.k ifronu vof/k 4@2001 I 3@2003 rd

1	पैरा-4 (5)	निर्णीत
2	पैरा-6 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा-7	अनिर्णीत
4	पैरा-9 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (1)	अंशतः निर्णीत

fuEu vf/kdkfj;k@depkfj;k I ₹31381 dh ifrfu;fDr HkUk dh o lyh
'k" k gA

1	श्री अशोक वत्तस, कनिष्ठ अभियन्ता	₹14953
2	श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता	₹16428
		₹31381
6	पैरा-12 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा-13 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा-14 (1) (2) (3)	अनिर्णीत
9	पैरा-16 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा-16 (1) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा-21 (3)	अनिर्णीत

12	पैरा-23	अनिर्णीत
13	पैरा-24 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा-24 (3) (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा-25	अंशतः निर्णीत (निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों से ₹1615 की वसूली षेष है।) 1 श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता ₹1615
16	पैरा-30	अनिर्णीत (श्री सुख राम कनिष्ठ अभियन्ता को भुगतान की गई राशि ₹95316.00 समायोजन हेतु षेष है।)
17	पैरा-31 (1)	निर्णीत
18	पैरा-31 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा-32	अनिर्णीत
20	पैरा-33 (1) (2)	अनिर्णीत
21	पैरा-33 (3)	अनिर्णीत
22	पैरा-33 (4)	अनिर्णीत
23	पैरा-33 (5)	अनिर्णीत
24	पैरा-33 (6)	अनिर्णीत
25	पैरा-33 (7)	अनिर्णीत
26	पैरा-33 (8)	अनिर्णीत
27	पैरा-33 (9)	अनिर्णीत
28	पैरा-33 (10)	अनिर्णीत
29	पैरा-33 (11)	अनिर्णीत
30	पैरा-33 (12)	अनिर्णीत
31	पैरा-33 (13)	अनिर्णीत
32	पैरा-33 (14)	अनिर्णीत
33	पैरा-33 (15)	अनिर्णीत
34	पैरा-33 (16)	अनिर्णीत
35	पैरा-33 (17)	अनिर्णीत
36	पैरा-34 (1)	अनिर्णीत
37	पैरा-34 (2)	अनिर्णीत
38	पैरा-34 (3)	अनिर्णीत

39	પૈરા-૩૪ (૪)	અનિર્ણીત
40	પૈરા-૩૪ (૫)	અનિર્ણીત
41	પૈરા-૩૪ (૬)	અનિર્ણીત
42	પૈરા-૩૪ (૭)	અનિર્ણીત
43	પૈરા-૩૪ (૮)	અનિર્ણીત
44	પૈરા-૩૪ (૯)	અનિર્ણીત
45	પૈરા-૩૪ (૧૦)	અનિર્ણીત
46	પૈરા-૩૪ (૧૧)	અનિર્ણીત
47	પૈરા-૩૪ (૧૨)	અનિર્ણીત
48	પૈરા-૩૪ (૧૩)	અનિર્ણીત
49	પૈરા-૩૪ (૧૪)	અનિર્ણીત
50	પૈરા-૩૫ (૧)	અનિર્ણીત
51	પૈરા-૩૫ (૨)	અનિર્ણીત
52	પૈરા-૩૫ (૩)	અનિર્ણીત
53	પૈરા-૩૫ (૪)	અનિર્ણીત
54	પૈરા-૩૫ (૫)	અનિર્ણીત
55	પૈરા-૩૫ (૬)	અનિર્ણીત
56	પૈરા-૩૫ (૭)	અનિર્ણીત
57	પૈરા-૩૫ (૮)	અનિર્ણીત
58	પૈરા-૩૫ (૯)	અનિર્ણીત
59	પૈરા-૩૫ (૧૦)	અનિર્ણીત
60	પૈરા-૩૫ (૧૧)	અનિર્ણીત
61	પૈરા-૩૫ (૧૨)	અનિર્ણીત
62	પૈરા-૩૫ (૧૩)	અનિર્ણીત
63	પૈરા-૩૫ (૧૪)	અનિર્ણીત
64	પૈરા-૩૫ (૧૫)	અનિર્ણીત
65	પૈરા-૩૬ (૧)	અનિર્ણીત
66	પૈરા-૩૬ (૨)	અનિર્ણીત
67	પૈરા-૩૬ (૩)	અનિર્ણીત
68	પૈરા-૩૬ (૪)	અનિર્ણીત
69	પૈરા-૩૬ (૬)	અનિર્ણીત
70	પૈરા-૩૬ (૧૦)	અનિર્ણીત
71	પૈરા-૩૭ (૧)	નિર્ણીત
72	પૈરા-૩૭ (૨)	નિર્ણીત

73	પૈરા-37 (3)	નિર્ણીત
74	પૈરા-37 (4)	નિર્ણીત
75	પૈરા-40 (1)	અનિર્ણીત
76	પૈરા-40 (2)	અનિર્ણીત
77	પૈરા-40 (3)	અનિર્ણીત
78	પૈરા-40 (4)	અનિર્ણીત
79	પૈરા-41 (1)	અનિર્ણીત
80	પૈરા-41 (2)	અનિર્ણીત
81	પૈરા-41 (3)	અનિર્ણીત
82	પૈરા-41 (4)	અનિર્ણીત
83	પૈરા-42 (1)	નિર્ણીત
84	પૈરા-42 (2)	નિર્ણીત
85	પૈરા-45 (1)	અનિર્ણીત
86	પૈરા-45 (2)	અનિર્ણીત
87	પૈરા-45 (3)	અનિર્ણીત
88	પૈરા-48 (1)	અનિર્ણીત
89	પૈરા-48 (2)	અનિર્ણીત
90	પૈરા-50	અનિર્ણીત
91	પૈરા-51	અનિર્ણીત
92	પૈરા-52 (1)	અનિર્ણીત
93	પૈરા-52 (2)	અનિર્ણીત
94	પૈરા-52 (3)	અનિર્ણીત
95	પૈરા-52 (4)	અનિર્ણીત
96	પૈરા-52 (5)	અનિર્ણીત
97	પૈરા-52 (6)	અનિર્ણીત
98	પૈરા-52 (7)	અનિર્ણીત
99	પૈરા-52 (8)	અનિર્ણીત
100	પૈરા-52 (9)	અનિર્ણીત
101	પૈરા-52 (10)	અનિર્ણીત
102	પૈરા-52 (11)	અનિર્ણીત
103	પૈરા-55	નિર્ણીત
104	પૈરા-56 (3)	અનિર્ણીત
105	પૈરા-56 (4)	અનિર્ણીત
106	પૈરા-59 (1)	અનિર્ણીત

107	પૈરા-59 (2)	અનિર્ણીત
108	પૈરા-59 (5)	અનિર્ણીત
109	પૈરા-61 (1)	નિર્ણીત
110	પૈરા-61 (3)	અનિર્ણીત
111	પૈરા-62	નિર્ણીત
112	પૈરા-76	અનિર્ણીત
113	પૈરા-83 (4) (ખ)	નિર્ણીત
114	પૈરા-83 (5)	અનિર્ણીત
115	પૈરા-83 (6)	અનિર્ણીત
116	પૈરા-83 (7)	અનિર્ણીત
117	પૈરા-83 (8)	અનિર્ણીત
118	પૈરા-83 (9) (ખ)	અનિર્ણીત
119	પૈરા-83 (10)	અનિર્ણીત
120	પૈરા-83 (11)	અનિર્ણીત
121	પૈરા-83 (12)	અનિર્ણીત
122	પૈરા-86 (1)	અનિર્ણીત
123	પૈરા-86 (2)	અનિર્ણીત

૪x½ y[kk ijhkk ifronu vof/k 4@03 I 3@04

1	પૈરા-4	અનિર્ણીત
2	પૈરા-5	અનિર્ણીત
3	પૈરા-6	અનિર્ણીત
4	પૈરા-8	અનિર્ણીત
5	પૈરા-9	અનિર્ણીત
6	પૈરા-10	અનિર્ણીત
7	પૈરા-11	અનિર્ણીત
8	પૈરા-15 (ઘ)	અનિર્ણીત
9	પૈરા-16 (ગ)	અનિર્ણીત
10	પૈરા-16 (ઘ)	અનિર્ણીત
11	પૈરા-16 (ઙ)	અનિર્ણીત
12	પૈરા-18 (છ)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-20 (ઙ)	અનિર્ણીત
14	પૈરા-22 (1)	અનિર્ણીત
15	પૈરા-22 (2)	અનિર્ણીત

16	પૈરા-22 (3) (ક)	અનિર્ણીત
17	પૈરા-22 (4) (ક)	અનિર્ણીત
18	પૈરા-22 (4) (ખ)	અનિર્ણીત
19	પૈરા-22 (4) (ગ)	અનિર્ણીત
20	પૈરા-23 (ક)	અનિર્ણીત
21	પૈરા-23 (ખ)	અનિર્ણીત
22	પૈરા-23 (ગ)	અનિર્ણીત
23	પૈરા-23 (ઘ)	અનિર્ણીત
24	પૈરા-26	અનિર્ણીત
25	પૈરા-27 (1)	અનિર્ણીત
26	પૈરા-27 (2)	અનિર્ણીત
27	પૈરા-30	અનિર્ણીત
28	પૈરા-31	અનિર્ણીત
29	પૈરા-32	અનિર્ણીત
30	પૈરા-34	અનિર્ણીત
31	પૈરા-35 (ક)	અનિર્ણીત
32	પૈરા-35 (ખ)	અનિર્ણીત
33	પૈરા-36	નિર્ણીત
34	પૈરા-37	અનિર્ણીત
35	પૈરા-38	અનિર્ણીત
36	પૈરા-39	અનિર્ણીત
37	પૈરા-40	અનિર્ણીત
38	પૈરા-43	અનિર્ણીત
39	પૈરા-44	નિર્ણીત
40	પૈરા-45 (ખ)	અનિર્ણીત
41	પૈરા-46	અનિર્ણીત
42	પૈરા-47	અનિર્ણીત
43	પૈરા-48	અનિર્ણીત
44	પૈરા-49	અનિર્ણીત
45	પૈરા-50	અનિર્ણીત
46	પૈરા-53	અનિર્ણીત

૪?k% y[kk ijh%kk ifronu vof/k 4@04 I 3@05

1 પૈરા-4 અનિર્ણીત

2	પૈરા-6	અનિર્ણીત
3	પૈરા-7	અનિર્ણીત
4	પૈરા-8	અનિર્ણીત
5	પૈરા-9	અનિર્ણીત
6	પૈરા-10	અનિર્ણીત
7	પૈરા-11	અનિર્ણીત
8	પૈરા-12	અનિર્ણીત
9	પૈરા-13	અનિર્ણીત
10	પૈરા-15	અનિર્ણીત
11	પૈરા-16	અનિર્ણીત
12	પૈરા-17	અનિર્ણીત
13	પૈરા-18	અનિર્ણીત
14	પૈરા-19	અનિર્ણીત
15	પૈરા-20	અનિર્ણીત
16	પૈરા-21	અનિર્ણીત
17	પૈરા-22	અનિર્ણીત
18	પૈરા-23	અનિર્ણીત
19	પૈરા-24	અનિર્ણીત
20	પૈરા-25	અનિર્ણીત
21	પૈરા-26	અનિર્ણીત
22	પૈરા-28	અનિર્ણીત
23	પૈરા-29	અનિર્ણીત
24	પૈરા-30	અનિર્ણીત

૪M% y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@05 I 3@06

1	પૈરા-4	અનિર્ણીત
2	પૈરા-5	અનિર્ણીત
3	પૈરા-7	અનિર્ણીત
4	પૈરા-10	અનિર્ણીત
5	પૈરા-12	અનિર્ણીત
6	પૈરા-13 (2)	અનિર્ણીત
7	પૈરા-13 (3)	અનિર્ણીત
8	પૈરા-13 (4)	અનિર્ણીત
9	પૈરા-14	અનિર્ણીત

10	પૈરા-15	અનિર્ણીત
11	પૈરા-16	અનિર્ણીત
12	પૈરા-17 (ક)	અનિર્ણીત
13	પૈરા-18	અનિર્ણીત
14	પૈરા-20	અનિર્ણીત

૪પ૪ યૌકક ઇજકક ifronu vof/k 4@06 I 3@07

1	પૈરા-4	અનિર્ણીત
2	પૈરા-8	અનિર્ણીત
3	પૈરા-9	અનિર્ણીત
4	પૈરા-10	અનિર્ણીત
5	પૈરા-11	અનિર્ણીત
6	પૈરા-12	અનિર્ણીત
7	પૈરા-14	નિર્ણીત
8	પૈરા-15	અનિર્ણીત
9	પૈરા-16	અનિર્ણીત
10	પૈરા-17	અનિર્ણીત
11	પૈરા-19	અનિર્ણીત
12	પૈરા-20	અનિર્ણીત

૪N૪ યૌકક ઇજકક ifronu vof/k 4@07 I 3@08

1	પૈરા-4	અનિર્ણીત
2	પૈરા-6	અનિર્ણીત
3	પૈરા-7	અનિર્ણીત
4	પૈરા-9	અનિર્ણીત
5	પૈરા-10	અનિર્ણીત
6	પૈરા-11	અનિર્ણીત
7	પૈરા-12	અનિર્ણીત
8	પૈરા-13	અનિર્ણીત
9	પૈરા-14	અનિર્ણીત
10	પૈરા-15	અનિર્ણીત
11	પૈરા-16	અનિર્ણીત
12	પૈરા-17	અનિર્ણીત

13	પૈરા-18	નિર્ણીત
14	પૈરા-19	નિર્ણીત
15	પૈરા-20	અનિર્ણીત
16	પૈરા-21	અનિર્ણીત
17	પૈરા-22	અનિર્ણીત
18	પૈરા-23	અનિર્ણીત
19	પૈરા-24	અનિર્ણીત

¼ t ½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@08 l 3@09

1	પૈરા-4	અનિર્ણીત
2	પૈરા-6	અનિર્ણીત
3	પૈરા-7	અનિર્ણીત
4	પૈરા-8	અનિર્ણીત
5	પૈરા-9	અનિર્ણીત
6	પૈરા-10	અનિર્ણીત
7	પૈરા-11	અનિર્ણીત
8	પૈરા-12	અનિર્ણીત
9	પૈરા-13	અનિર્ણીત
10	પૈરા-14	અનિર્ણીત
11	પૈરા-15	અનિર્ણીત
12	પૈરા-16	અનિર્ણીત

2 or'eku vid{k.k.&

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2009 से 31.3.2010 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री बसन्त सिंह, सहायक नियन्त्रक तथा श्री चेत राम ठाकुर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्व लेखा परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया गया तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन का आलेखन एवं संकलन जगजीत सिंह पटियाल, सहायक नियन्त्रक द्वारा सम्पन्न किया गया। अनुवर्ती पैरों में दिये गये अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किये गये।

हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के वर्ष 2009-10 के लेखाओं से सम्बंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया। लेखा परीक्षा में सूचनायें उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत लेखा परीक्षा में यदि बोर्ड के लेखाओं में कोई अनियमितता उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अतिरिक्त पाई जाती है तो लेखा परीक्षा विभाग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 vid{k.k 'kYd&

हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के लेखाओं की अवधि 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹888298.00 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि चैक संख्या 703439 दिनांक 23.11.2010 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 के कार्यालय में जमा करवा दी गई हैं।

4 okf"kd y[k %Annual Account%&

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि के वार्षिक लेखाओं से सम्बंधित तुलन पत्र एवं ट्रायल बैलेंस परिशिष्ट"क" पर संलग्न है। वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखाओं से सम्बंधित तुलन पत्र महाजन प्रसाद एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से तैयार करवाया गया था। ट्रायल बैलेंस एवं तुलन पत्र की प्रस्तुत अभिलेखों के साथ जाँच करने के पश्चात एवं बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर वार्षिक लेखाओं को निम्नलिखित टिप्पणियों सहित प्रमाणित किया जाता है। वार्षिक लेखें आगामी आवधिककार्यवाही हेतु जारी कर दिये गए हैं।

%1% ixfr ij iithxr dk;! %Capital work in progress, Schedule-II%&

विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के डिपोजिट वर्क के विरुद्ध वर्ष 2009-10 तक ₹35353507.00 व्यय किये दर्शाए गए थे, परन्तु प्रत्येक विपणन समितियों के विभिन्न कार्यों पर किए गए व्यय का विवरण वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न नहीं किया गया। बोर्ड तुलन पत्र के मुख्य शीर्ष प्रगति दर कार्य षडयूल-2 (वक इन प्रोग्रेस) में उक्त राशि (Current Assets) में दर्शायी जा रही है। वास्तव में यह समपित्तियों

विपणन समितियों की निधि से बनाई जा रही है। अतः ये सम्पत्तियाँ सम्बंधित मण्डी समितियों के लेखों में दर्शाई जानी अपेक्षित है।

2. Current Liabilities, Schedule-VI (₹61,81,715.00)

विभिन्न संविदाकारों से प्रतिभूति से सम्बंधित अनुसूची-4 में ₹61,81,715.00 की देन दारियाँ दर्शाई गई थी। इन राशियों की प्रति व्यक्ति देनदारी का वार्षिक लेखाओं में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रतिभूति रजिस्टर से सम्बंधित अभिलेख अंकक्षण को प्रस्तुत किया जाए ताकि विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूति राशियों की सत्याता की पुष्टि की जा सके तथा बिना पूरक अभिलेख के अन्तिम लेखों में राशियाँ दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

3. Current Assets

सावधि जमा योजना के अन्तर्गत चालू सम्पत्ति (Current Assets) में जमा राशि अनुसूची-3 के तहत ₹183606105.00 (123184751+60421354) सी0पी0एफ0 दर्शाए गए, जबकि लेखों की जाँच करने पर लेखा परीक्षा में पाया गया कि वास्तव में बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2010 को ₹184334252.16 (123245915.72+61088336.44) सी0पी0एफ0 विभिन्न बैंकों में निवेश की गई थी जिनका विस्तृत विवरण अंकक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है। इस प्रकार ₹728147.16 की राशि चालू सम्पत्ति (Current Assets) सावधिक जमा योजना में कम दर्शाई गई है।

4. ₹180702203-00

विभिन्न मण्डी समितियों से निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) के अन्तर्गत ₹180702203.00 प्राप्त की गई है। विभिन्न समितियों से किस कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई है, का वार्षिक लेखाओं में विस्तृत विवरण नहीं है।

**Financial Analysis on the Audit Report of H.P State Agricultural Marketing Board Shimla
for the period 4/2009 to 3/2010**

1 Overall finances of the Board:-

Financial Data for the last three years

Income (in Lakh)

Period	Share of Market fees from APMC	Interest on FDR's and Saving A/C	other Income	Total
2007-08	351.91	48.50	3.72	404.13
2008-09	449.53	73.63	13.95	537.11
2009-10	400.68	101.90	18.29	520.87

Expenditure (in Lakh)

Period	Salary+wages a/w%of total Income	Admn. Charges a/w % of total income	Vehicle R+M a/w % of total income	other Expenditure	excess of Income over Expdt.	Total 6+7+8+9
2007-08	98.93 (24.47%)	22.46 (5.56%)	8.84 (2.18%)	130.95	142.95	404.13
2008-09	113.53 (21.13%)	35.26 (6.56%)	6.03 (1.12%)	23.48	358.81	537.11
2009-10	140.91 (27.05%)	18.15 (3.48%)	6.07 (1.16%)	22.89	332.85	520.87

A review of Financial Data of H.P State Agricultural Marketing Board for the last three years enumerated Above reveals that there is definite decrease in the income of the Board in the year 2009-10 as compared to 2008-09. The major reason for this decrease is due to none realisation of out standing market Fee. It is pertinent to mention here that as per provisions contained under section – 44 of H.P, Agricultural and Horticultural produce marketing (Development and Regulation) Act –2005, every market committee is required to charge market fee on sale and purchase of notified Agricultural produce (1%) and further as per provisions contained under section 49(3) of the Act, 25% Share of market fee. So received is being deposited by all the market committees with the board. As a result of above decrease, the income of the Marketing Board decreases significantly in the year 2009-10 as compared to the income of 2008-09. Apart –from above, income from other Heads Accounts remained the same during provisions three years .

Note:- Non- realization of Board share.

It is noticed that the Board share amounting ₹ 3.17 Crors is still recoverable by the Marketing Board from various committee as on 31st March 2010 for which strenuous efforts are required to be made by the Board to recover out standing dues.

(II) Staff/Man power of the Board :-

The position of total sanctioned posts of the Board filled up post and vacancy position for the last three year is as under:-

Year	Total Sanctioned Posts	Filled up posts	Vacant	Remarks
2007-08	56	39	17	10 Post of different categories in Himachal
2008-09	60	41	19	Kisan Bhawn Stand abolished in 2007 due to
2009-10	60	42	18	closure of Himachal Kisan Bhawn and further transfer of same to Horticultural Department.

(III) Financial Management Practices:-

A Marketing Development fund has been created by the Board under section 46 of the Act and is utilized by the board for the discharge of functions entrusted to it under the Act. Annual budget of the board showing income and expenditure of the ensuing year is prepared under section 47 of the Act-and Annual Accounts, Audit of Annual Report-is prepared under section 48 of the act. The overall Financial affairs of the board revolve around the supervision and control being exercised by the Managing Director of the board and such other higher authorities as may be notified by the Government from time to time under the act.

It is noticed that the overall Financial management affairs of the board stands on weak footing and requires a lot of improvement at various levels. The major drawback bottle neck and deficiencies noticed in the Financial management affair of the board are as under:-

(1) There is no internal check / control in existence in the Board. The existence of pre-audit system in the marketing Board has achieved to exercise required checks and balances. Resultantly over payments amounting to ₹10,34,582.00 Lakhs. were pointed out/retrrenched by audit which otherwise could have been paid in irregular manner.

(2) No supervision and control is being exercised by the Board to recover outstanding-dues from APMC's as a result of which total amount of ₹3.17 crore on account of 25% share of market fee is still recoverable from various Market Committee's as on 31.3.2010.

(3) No control has been exercised by the board for proper maintenance of adjustment of outstanding staff advances as a result of which, a of ₹8.86 lakh was recoverable / adjustable from various staff member of the Board as on 31.3.2010.

(4) Power of S.E are being exercised by the Executive Engineer of the marketing Board with the approval of chairman of the Board without obtaining concurrence of Finance Department. Such power are invariably notified by the Finance Department of the state as such approval of F.D in the instant case is required. Further own duties and responsibilities of Executive Engineer is also not being exercised properly as it is noticed that no test checks which is required to be exercised by Executive Engineer for checking measurement has not been exercised in prescribed manner i.e 10% of executed work.

(5) Utilization certificates to the tune of ₹11624640 are still pending to be received from various departments/institutions where funds are deposited by the board to execute deposit works.

(6) The following market yards of various APMC's are not functional, on which the marketing Board/Committees have been spent huge amounts. The expenditure on the Establishment of these non-functional yards has gone in-fructuous which shows a defeat in planning to establish these yards without standing the feasibility and un-ability of the same appropriately :-

1 APMC Kangra	1 Ghaliyara 2 Kandrauri 3 Terminal Mandi chakki
2 AMPC Bilaspur	1 Shah Talai
3 APME Mandi	1 Pali
4 APMC Shimla & Kinnour	1 Pliagi 2 Shilaroo
5 APMC Solan	1 Kandaghat 2 Arki 3 Saproon

(7) Other financial affairs of the Marketing Board:-

The Marketing Board is required to exercise super-intendence and overall control of the committee, coordinate the working of the committees and other affairs thereof under taking the state level planning of the development of agricultural produce Markets administer the Marketing Development fund to give directions to the committees in general of any committee in particular with a view to ensure improvement any other function specially entrusted to it by the act-and such other functions of nature as may be entrusted to the Board by the state Government. But it has been noticed that the board has organized some training camps during the year 2009-10 to which expenditure amounting to ₹19000 have been incurred. The other major objectives of the Board have not been achieved. So much so no significant output has been noticed while supervising to various market committees by the officers / officials of the Board.

5 io y[_{kk} ij_{h{kk} e Hkxrku gr iLrr fcy_k e ₹1034582@& dh dVkrh djuk&

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पूर्व में अनियमित रूप से किये जा रहे भुगतान में से ₹1034582/- की कटौती की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

fcy l[;k	fnukd	fcy dh jkf'k % : i;k e%	ft ruh jkf'k gr fcy ikfjr fd;k x;k	dVkrh dh jkf'k % : i;k e%
273	31.3.09	1063540	1027282	36258
35	21.4.09	1365	1360	05
14	30.4.09	84187	81153	3034
25	8.5.09	218695	217558	1137
4	8.4.09	1544935	1539935	5000
12	28.4.09	132414	132364	50
36	21.5.09	1717934	1717738	196
27	18.5.09	2236210	2200576	35634
47	1.6.09	56413	55898	515
49	6.6.09	495478	493878	1600
52	6.6.09	72830	72154	676
37	22.5.09	841209	835466	5743
99	11.6.09	3732989	3732942	47
				89895
54	10.6.09	1344512	1267151	77361
50	6.6.09	323105	314109	8996
121	25.6.09	352641	351941	700
126	26.6.09	1855	1567	288
61	1.7.09	1120290	1117650	2640
62	4.7.09	588939	586576	2363
65	7.7.09	172389	171892	497
64	7.7.09	1668753	1653016	15737
69	8.7.09	889565	883879	5686
73	16.7.09	1101045	1081830	19215
72	17.7.09	158454	91842	66612
75	18.7.09	233383	233318	65
83	21.7.09	522462	504079	18383
144	15.7.09	18628	17868	760

159	25.7.09	4543	4521	22
91	23.7.09	189054	188454	600
84	22.7.09	49669	43688	5981
			315801	
76	20.7.09	229339	152062	77277
70	10.7.09	436287	431303	4984
177	4.8.09	720	684	36
105	17.8.09	1410748	1379688	31060
110	21.8.09.	403892	403862	30
104	17.8.09	5276016	5272957	3059
115	21.8.09	677265	676974	291
117	22.8.09	187513	185084	2429
119	25.8.09	751987	750542	1445
127	2.9.09	1263124	1185847	77277
128	3.9.09	580540	577086	3454
195	24.8.09	5445	5005	440
16	4.9.09	6542	6502	40
56	18.6.09	25464	18212	7252
243	27.9.09	532	512	20
156	12.10.09	208729	207657	1072
149	7.10.09	1320981	1271398	49583
162	21.10.09	45399	45072	327
148	6.10.09	199473	198565	908
158	13.10.09	2035557	2032980	2577
			579362	
166	22.10.09.	98519	79509	19010
298	6.11.09	5170	2310	2860
289	28.10.09	22800	16000	6800
183	20.11.09.	181468	154248	27220
348	15.12.09	287618	286926	692
347	14.12.09	47278	46935	385
199	.15.12.09	352658	351358	1300
357	22.1.10	4567	3523	1044
211	7.1.10	1209817	12098754	63
203	23.12.09	1056563	1013377	43186
212	4.1.10.	310384	308935	1449

381	13.1.10	8167	8107	60
376	13.1.10	17144	17028	116
221	14.1.10	71410	71378	32
216	11.1.10	1392343	1383074	9269
388	16.1.10.	13501	12580	921
332	21.1.10	2121105	2117963	3142
416	3.2.10	31606	30978	628
241	3.2.10	1447952	1430859	17093
419	6.2.10	39310	39224	166
244	4.2.10	716075	689538	26536
				741334
272	26.2.10	2385573	2300922	84651
274	2.3.10	113441	99101	14340
468	9.3.10.	4993	3660	1333
470	16.3.10	3000	2920	80
494	27.3.10.	5392	3628	1764
498	30.3.10	573400	383860	189540
502	31.3.10	40656	39116	1540
				₹1034582

6 **vk; ,o 0;; [kkri ei o"ki 2009&10 ei jkf'k ₹33285133-72 dk vf/k'k"n n'kk;k x;k gA fuEu =fV;k d dkj.k vf/k'k"n ei n'kkb| xb| jkf'k lgh ugh g%& %1% cpr [kkri ij C;k t vu|fp&5 jkf'k ₹1043336-71**

विपणन बोर्ड के बचत खातों पर ब्याज की राशि में ₹761515.00 की राशि विभिन्न विपणन समितियों द्वारा डिपोजिट वर्क हेतु बोर्ड में जमा राशि पर ब्याज की राशि भी सम्मिलित की गई है, जबकि विपणन समितियों की डिपोजिट वर्क की राशि पर प्राप्त ब्याज की आय को विपणन समितियों से सम्बंधित जमा षडयूल-2 में गणना की जानी अपेक्षित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः वार्षिक लेखों में तदानुसार शुद्धि की जानी अपेक्षित है व भविष्य हेतु इस प्रकरण में उचित कार्यवाही हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

1	चम्बा खाता संख्या 1648	8448
2	कांगड़ा खाता संख्या 1651	187132
3	कुल्लू खाता संख्या 1684	76637
4	बिलासपुर खाता संख्या 1783	10020
5	सोलन खाता संख्या 1834	28980
6	षिमला खाता संख्या 1835	361916
7	सिरमौर खाता संख्या 1956	5580
8	ऊना खाता संख्या 2011	20634
9	हमीरपुर खाता संख्या 2260	31086
10	मण्डी खाता संख्या 2364	31082
		₹761515

2% ₹38448.00 बैलेस शीट की अनुसूचि-3 में पिछली अवधि के बकाया अग्रिम समायोजन योग्य राशि दर्शाई गई है। इस सन्दर्भ में वार्षिक लेखाओं में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है न ही ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जिससे इस राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके। अतः बिना अभिलेख विवरण के अन्तिम लेखों में राशि दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

7 lh0ih0,Q0 y:[kk dk vufpr j[k j[kko%&

बोर्ड के वर्ष 2009-10 के तुलन पत्र दायित्व पक्ष में ₹62499996 ब्याज सहित राशि दायित्व के रूप में दर्शाई गई है जबकि अंशदायी भविष्य निधि रजिस्टर तथा उससे सम्बंधित प्रस्तुत विवरणी जो कि परिशिष्ट"ग" पर संलग्न है के अनुसार उपरोक्त वित्तीय वर्ष के अन्त में ₹60527809.00 की राशि अंशदायी भविष्य निधि खातों के अन्तर्गत देय थी। इस प्रकार ₹1972187.00(₹62499996.00-60527809.00) दायित्व की राशि तुलन पत्र में अधिक दर्शाई गई है।

8 foi.ku lfevr;kl l 25 ifr'kr ckMl 'k;j dh 31-3-2010 dk oliyh ;kX; jkf'k ₹31782625-00 dh le; ij oliyh u djuk%&

1% विपणन समितियों से विपणन शुल्क के 25 प्रतिशत बोर्ड शेर की समय पर वसूली नहीं की जा रही है। बोर्ड शेर की समय पर वसूली न करने के कारण बोर्ड के लेखे वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाते हैं तथा इसके साथ बोर्ड को ब्याज की हानि भी हो रही है यदि इस राशि को समय पर प्राप्त करके सावधि जमा खातों में निवेश किया जाता है तो इसके उपर लाखों रुपये का ब्याज प्राप्त हो सकता था। अतः बोर्ड द्वारा निम्न विवरणानुसार 31.3.2010 को विभिन्न विपणन समितियों से वसूली योग्य राशि ₹31782625.00 की

षीध वसूली की जाए व अनुपालना लेखा परीक्षा में दिखाई जाए तथा भविष्य में विपणन समितियों से मण्डी शुल्क के षेयर की समय पर अर्थात् प्रत्येक माह वसूली सुनिश्चित की जाए।

2% vk; iftdk dk mfpr j[k j[kko u djuk&

बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई निम्न सूची अनुसार 31.3.2009 तक बकाया राशि ₹29698221.00 व वर्ष 2009-10 के अन्त में विभिन्न समितियों से कुल 25 प्रतिषत बोर्ड षेयर वसूली योग्य राशि ₹31782625.00 दर्शाई गई है। नियमित रूप से माँग व प्राप्ति रजिस्टर के रख रखाव न करने के कारण उक्त आंकड़ों के सत्यता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। बार-बार अनुरोध करने पर भी सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। आवश्यक अभिलेख तैयार करने बारे गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 (2) में भी सुझाव दिया गया था लेकिन बोर्ड प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सन्दर्भ में आवश्यक रजिस्टर का रख रखाव नियमित रूप से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड से अनुरोध है कि बोर्ड षेयर से सम्बंधित माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें ताकि आंकड़ों के सत्यता की पुष्टि की जा सके।

9 LVkQ vfxe vu|fp&3 ₹886293-00

बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारियों के नाम दिनांक 31.3.2010 को स्टॉफ अग्रिम के रूप में ₹886293 की राशि समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी:-

	(₹)
1 श्री अरविन्द कुमार, कनिष्ठ सहायक	3707
2 श्री भुपेन्द्र कुमार, वरिष्ठ लिपिक	25175
3 श्री कली राम, वरिष्ठ सहायक	13940
4 श्री हंस राज कपूर	6000
5 श्री सुख राम कनिष्ठ सहायक	85316
6 श्री संजय जोषी विधि सहायक	5000
7 श्री प्रेम सिंह पाल, वरिष्ठ लिपिक	49546
8 श्री एस0आर0 कष्यप मार्किटक अधिकारी	3260
9 गर्म वस्त्र अग्रिम	7853
10 हाउस बिल्डिंग अग्रिम	383860
11 भवन की मुरम्मत हेतु अग्रिम	302636
	₹886293

उक्त अग्रिम राशियों (गर्म वस्त्र अग्रिम तथा हाऊस बिल्डिंग अग्रिम तथा भवन की मुरम्मत हेतु अग्रिम को छोड़कर) का समय पर वसूल न करने की स्थिति बोर्ड के अधिकारियों के ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि बहुत से अधिकारी/कर्मचारी बोर्ड से

स्थानान्तरित हो चुके हैं परन्तु उनसे अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अतः उक्त राशियों की वसूली दण्ड ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 y:tj [kkrk ogh d: j[k j[kko e: vfu;ferrk&

खाता वही वर्ष 2009-10 में प्रारम्भिक षेष्ठ पूर्व खाता वही के किस पृष्ठ पर से उठाये गए थे, का कोई उल्लेख लेजर में नहीं किया गया था। खाता वही में बहुत कांट छांट/अधिलेखन किया गया था। खाते में कोई सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जिस कारण इन राशियों की सत्यता की पुष्टि करना सम्भव नहीं हो सका। इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेजर का रख रखाव नियमानुसार सही ढंग से करना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 jkdM ogh&

रोकड़ वही में प्रतिदिन भुगतान हेतु बैंक खाते में जमा व भुगतान की गई राशि को आय-व्यय पर दर्शाकर अन्तिम षेष्ठ शून्य दर्शाया जाता है जिस कारण रोकड़ वही से समय-समय पर यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि बोर्ड के पास कुल कितनी राशि षेष्ठ है व किन-किन बैंकों में जमा है जो कि अनियमित है। रोकड़ वही में नियमानुसार गत षेष्ठ सहित आय-व्यय से सम्बंधित सभी प्रविष्टियों की जानी सुनिश्चित करें ताकि रोकड़ वही से बोर्ड की वित्तीय स्थिति का अवलोकन एक नजर से किया जा सके।

12 %d% ₹17878-00 iVky dh vf/kd [kir&

विपणन बोर्ड की वर्ष 2009-10 वाहनों की लॉग बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि पेट्रोल खपत की औसत दर कि०मी० प्रति लीटर निम्नानुसार थी, जबकि संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार पत्र संख्या जी०ए०डी०ए०डी०-11-1/96 दिनांक 21.1.1997 द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की वाहनों के लिए प्रति लीटर कि०मी० औसत निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार मारुति जिप्सी के लिए यह दर वाहन के स्थानीय प्रयोग करने पर 8 कि०मी० प्रति लीटर व प्रवास पर 9 कि०मी० प्रति लीटर तथा अम्बैसडर कार के लिए स्थानीय प्रयोग हेतु 6 कि०मी० प्रति लीटर व प्रयास के दौरान 7.50 कि०मी० प्रति लीटर थी, परन्तु हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड द्वारा निर्धारित औसत से प्रति लीटर कम औसत पर दर्शाए जाने के कारण बोर्ड द्वारा ₹17878.00 की राशि के पेट्रोल की अधिक खपत दर्शाई गई है जिसकी उचित माध्यम से वसूली करें तथा बोर्ड निधि में जमा करवाई जाए।

मारुति (जिप्सी) HP-03-0011

ek l	ek l d:	ek l	ek l	ek l d:	LFkkuh;	iok l d:	dy	ek l d:	iVky ij	dy jkf'k
nkjku	e:	e: dy	nkjku		;k=k gr	nkjku	vif{k	nkjku	ifr	

y^h xbl LFkkuh; ;k=k %fd0eh0 e^h
 iokl d nkjku ;k=k
 ;k=k okLrfod ek=k
 [kir fd; iVky dh
 8 fd0eh0 ifr y^hVj d vk/kkj ij iVky dh [kir
 ;k=k gr r iVky [kir
 vf/kd iVky [kir
 y^hVj vkLr vk/kkj ij

4 / 09	175	2011	2186	256	21.87	223.44	245.31	10.69	44.80	478.91
5 / 09	699	2612	3311	394	87.37	290.22	377.59	16.41	44.66	732.87
6 / 09	800	1638	2438	305	100	182	282	23	44.81	1030.63
7 / 09	298	1383	1681	210	37.25	153.66	190.91	19.09	46.99	897.03
8 / 09	690	1130	1820	238	86.25	125.55	211.80	26.20	46.99	1231.13
9 / 09	315	2872	3187	415	39.37	319.11	358.48	56.52	55.12	3115.38
10 / 09	295	2909	3204	429	36.87	323.22	360.09	68.91	47.06	3242.90
11 / 09	57	688	745	99	7.12	76.44	83.56	15.44	47.06	726.60
12 / 09	90	1516	1606	220	11.25	168.44	179.69	40.31	49.15	1981.23
1 / 10	363	1139	1502	175	45.37	126.55	171.92	3.08	49.13	151.87
2 / 10	300	72	372	39	37.5	8	45.5	—	—	—
3 / 10	1408	980	2388	343	176	108.88	284.88	58.12	52.10	3028.05
									Total	₹16616-60
									Say	₹16617

ekL ekL d nkjku dh xbl LFkkuh; ;k=k
 ekL e: iVky dh okLrfod [kir
 ekL d nkjku e: d nkjku dy ;k=k
 iVky dh ifr y^hVj d vk/kkj ij iVky dh [kir
 iVky ij ifr y^hVj vkLr vk/kkj ij
 dy jkf'k

4 / 09	88	—	88	14	14.66	—	14.66	—	—	—
5 / 09	150	—	150	22	25	—	25	—	—	—
6 / 09	843	140	983	161	140.5	18.66	159.16	1.84	44.81	82.45
7 / 09	443	209	652	95	73.83	27.86	101.69	—	—	—
8 / 09	435	395	830	134	72.50	52.66	125.16	8.84	49.24	435.28
9 / 09	309	845	1154	156	51.50	112.66	164.16	—	—	—
10 / 09	716	1167	1883	287	119.33	155.6	274.93	12.07	59.29	715.63

11/09	544	130	674	87	90.66	17.33	107.99	—	—	—
12/09	189	412	601	87	31.5	54.93	86.43	.56	49.31	27.61
1/10	774	383	1157	171	129	51.06	180.06	—	—	—
2/10	534	1059	1593	210	89	141.2	230.2	—	—	—
3/10	851	360	1211	179	141.83	48	189.83	—	—	—
									Total	1260-97
									Say	₹1261

12 वाहन नम्बर एचपी 07-वी-0621 की लॉग बुक लेखा परीक्षा के बार-बार अनुरोध करने पर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके फलस्वरूप उक्त वाहन की पेट्रोल खपत की औसत दर कि०मी० प्रति लीटर की जाँच पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त लॉग बुक आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

13 okmpj l[;k&247] ekg 9@2009 jkf'k ₹37290@&

उपरोक्त वाउचर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹37290/-की राशि का भुगतान कमीशनर, आयकर विभाग शिमला को किया गया दर्शाया है लेकिन यह भुगतान किस उद्देश्य हेतु किया गया था उक्त बिल से ज्ञात नहीं हो सका। इस सम्बंध में अधियाचना संख्या 61 दिनांक 30.9.2009 के द्वारा भी प्रबन्ध निदेशक विपणन बोर्ड से उक्त भुगतान के औचित्य के बारे में स्पष्टीकरण माँगा गया था। अतः या तो उक्त भुगतान का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹37290/-की राशि विपणन बोर्ड के खाते में वापिस जमा की जाए।

14 fofo/k&

विपणन बोर्ड द्वारा किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्य से सम्बंधित बिलों की जाँच पर लेखा परीक्षा में प्रायः यह पाया गया कि माप पुस्तिका में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई रिकार्ड प्रविष्टि की बोर्ड के सक्षम मण्डल अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निर्धारित मात्रा में जाँच परीक्षण नहीं किया जा रहा है जबकि नियमानुसार 10 प्रतिषत मण्डल अधिकारी व 50 प्रतिषत सहायक मण्डल अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि की जाँच परीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि निर्माण कार्य में पारदर्शिता लाई जा सके। यह मामला बोर्ड के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि भविष्य में माप पुस्तिका में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की गई रिकार्ड प्रविष्टि में किये गये कार्य का जाँच परीक्षण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

iii हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान की गई राशियों जैसे कि भवन अग्रिम गर्म वस्त्र अग्रिम त्यौहार अग्रिम की वसूलियों वेतन से की जा रही है। प्रस्तुत अग्रिम वसूलियों से सम्बंधित अग्रिम रजिस्टर में वसूलियों उचित प्रकार से नहीं दर्शाई जा रही है। रजिस्टर में आदि पेश की राशियों का कोई विवरण नहीं है कि किस रजिस्टर में यह राशियाँ लाई। अग्रेषित की गई है, किष्टों की क्रम संख्या नहीं लिखी जा रही है तथा वसूली की राशियाँ/पेश राशियों की वसूली रजिस्टर में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया जा रहा है। अग्रिम प्रदान की गई राशियों की वसूलियों से सम्बंधित रजिस्टर बार-बार आग्रह करने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः भविष्य में अग्रिम प्रदान की गई राशियों की वसूलियों से सम्बंधित रजिस्टर समय-समय पर अंकेक्षण में भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

iii बिल में बजट प्रावधान का उल्लेख भी नहीं किया जा रहा है। अतः भविष्य में प्रत्येक बिल में बजट प्रावधान का उल्लेख नियमानुसार किया जाए व सम्बंधित रजिस्टर का रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यय व बजट की पेश राशि का ब्यौरा एक नजर समय-समय पर ज्ञात हो सके।

15 fu"d"&

लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार हेतु आन्तरिक पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाना आवश्यक है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)30 / 76—खण्ड—7
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग।

i:"kd%

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला—171009.

i:f"kr%

प्रधान सचिव (कृषि),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
षिमला—171002

दिनांक, षिमला 171009.....

fo"k;%

fgekpy in'k foi.ku ckMl d y[kk vof/k 4@09 l 3@10 rd d okf"kd
y[kk ijh{k ifronu ckjA

egkn;]

उपरोक्त विषय पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड खलीनी, षिमला के लेखों अवधि 4/09 से 3/10 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रतिवेदन के साथ वित्तीय अनियमितताओं, अधिक भुगतान एवं हानि से सम्बंधित पैरों की सूची भी संलग्न की जाती है व अनुरोध किया जाता है कि इन आपत्तियों के निपटारे हेतु प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड को समुचित यथा निर्देश जारी करने की अनुकम्पा करें।

भवदीय,

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला—171009

पृष्ठांकन संख्या

यथोपरि,

दिनांक

षिमला—171009

प्रतिलिपि:—

- 1 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी, षिमला—171002 को इस आषय के साथ प्रेषित है कि वह इसमें सम्मिलित पैरों पर की गई कार्यवाही से सटिप्पण रूप में इस विभाग को अवगत करवाएं ताकि पैरों का निपटारा हो सके।
- 2 सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा), प्रभारी अंकेक्षण योजना हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड खलीनी, षिमला—171002, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला—171009